

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक: 1031 / 14-1 आगरा : दिनांक : सितम्बर 12 2023

सेवा में,

अवर अभियन्ता (सिविल)
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
आगरा।

विषय : जनपद आगरा के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने वाले रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन के किमी० 73/7-8 पर स्थित सम्पार सं०-68 बी/2ई पर 04 लेन उपरिगामी के निर्माण हेतु 0.0730 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 15 वृक्षों के पातन/ट्रांशप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/144/2022/एफ.सी./332 दिनांक 29.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः शर्तों का अनुपालन आप निम्न प्रकार करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित करनी होगी कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रू० 69,918.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराये तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. शर्त सं०-6 के अनुपालन में दण्डात्मक एन०पी०वी० की धनराशि रू० 10,513.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराये तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. शर्त सं०-2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 14,82,507.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराये तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जायेगी।
7. प्रयोक्ता द्वारा शर्त सं०-07 से 27 तक की समस्त शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित करनी होगी।

भवदीय

A.Kun

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 1031 / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

जनपद आगरा के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० आगरा द्वारा एन०एच०-२ से एन०एच०-३ को जोड़ने वाले रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन के किमी० ७३/७-८ पर स्थित सम्पार सं०-६८बी/२ई पर ०४ लेन उपरिगामी के निर्माण में दण्डात्मक नेट प्रजेंट वैल्यू की धनराशि का विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
१.	क्षेत्रफल हे० में	०.००९८ हे०
२.	अवधि	०१ वर्ष
३.	प्रति हे० वैल्यू रू० में	९,५७,७८०.००
४.	कुल वैल्यू रू० में $9,57,780 \times 0.0098 \times 5$	४६९३१.००
५.	कुल ब्याज की गणना 46931.00×12 प्रतिशत प्रतिवर्ष	५६३२.००
६.	कुल दण्डात्मक नेट प्रजेंट वैल्यू $46931.00 + 5632.00$	५२५६३.००
७.	ब्याज सहित की गणना रू० में $52563.00 \times 20\%$	१०५१३.००


 (आदर्श कुमार)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।